

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिक विभाग

पत्रांक – वि. प्रा. (III) यो. – 1/2017–

/पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय – विभागान्तर्गत बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी के परिसर में NBPDCCL द्वारा 300 KVA HTS I विद्युत संबंधन से संबंधित कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स, लेबर सेस सहित कुल रू. 1,15,000=00 (एक लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी के पत्रांक–13, दिनांक 10.01.2017 एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी के पत्रांक–09, दिनांक 06.01.2017 के आलोक में संस्थान परिसर में NBPDCCL द्वारा 300 KVA HTS I विद्युत संबंधन से संबंधित कार्यों के लिए पर्यवेक्षण शुल्क, सर्विस टेक्स, लेबर सेस सहित कुल रू. 1,15,000=00 (एक लाख पन्द्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में उक्त राशि संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृति राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के आयोजना व्यय आय–व्ययक के “मुख्यशीर्ष–4202 –शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष –02–तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष–104–बहुशिल्प, मांग संख्या–43, उपशीर्ष–0102–पोलिटेकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय” (विपत्र कोड–पी 4202021040102) के अधीन 53 01 मुख्य निर्माण कार्य विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की अग्रिम निकासी राजकीय कोषागार, पुपरी (सीतामढ़ी) से की जायेगी तथा विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी के पत्रांक–09, दिनांक 06.01.2017 में उल्लेखित संस्था को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। अग्रिम निकासी के प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

6. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

7. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. विमुक्त राशि का व्यय अधिकतम छः (6) माह में कर अभिश्रव सहित BTC-Form-27(C), एवं 2(C) (1) में अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख कोषागार, पुपरी (सीतामढ़ी) को उपलब्ध कराया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह. / –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. -1/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. -1/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, पुपरी (सीतामढ़ी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. -1/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल, सीतामढ़ी को उनके पत्रांक- 09, दिनांक 06.01.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. -1/2017-

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि – प्राचार्य, बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट ऑफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी को उनके पत्रांक-13, दिनांक 10.01.2017 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./ -

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – वि. प्रा.(III) यो. -1/2017-

494 /पटना, दिनांक- 27/1/2017

प्रतिलिपि – माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/ बजट सहायक/ आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/01/17

सरकार के उप सचिव

27/1/17